

## झाफट



# **न्यू टाउनशिप नीति—2022**

**(लाइसेन्स आधारित प्रणाली)**

**आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन**

**सितम्बर, 2022**





● औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 150 करोड़
● नेटवर्थ (औसत वार्षिक टर्नओवर का 20 प्रतिशत)	रु. 30 करोड़
● लीड मेम्बर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (रु. 150 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 39 करोड़
● लीड मेम्बर की न्यूनतम नेटवर्थ (रु. 30 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 7.80 करोड़
● कन्सॉर्शियम में लीड मेम्बर की न्यूनतम शेयरहोल्डिंग	26 प्रतिशत

शेष औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ की पूर्ति किसी भी सदस्य (लीड मेम्बर सहित) द्वारा की जा सकती है, किन्तु उसका स्पष्ट उल्लेख कन्सॉर्शियम एम.ओ.यू. में होना चाहिए।

3.4 टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम का टर्नओवर किसी भी सेक्टर का हो सकता है तथा 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेतु कन्सॉर्शियम की स्थिति में लीड मेम्बर का सम्पूर्ण टर्न ओवर रियल इस्टेट सेक्टर का ही होगा और एकल विकासकर्ता कम्पनी होने पर भी सम्पूर्ण टर्नओवर रियल सेक्टर का ही होगा। परन्तु दोनों स्थितियों में गत वर्ष में नेटवर्थ पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम 20 प्रतिशत होनी चाहिए। टर्नओवर एवं नेटवर्थ की पुष्टि हेतु गत 3 वर्षों की आडिटिड बैलेन्स शीट एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम के गत तीन वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर न्यू टाउनशिप के लिए प्रत्येक रु. 75 लाख टर्नओवर के सापेक्ष एक एकड़ लाइसेन्स क्षेत्रफल अनुमन्य होगा:-

<b>उदाहरण—1</b>	
● औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 30.00 करोड़
● नेटवर्थ	रु. 10.00 करोड़
● अनुमन्य लाइसेन्स एरिया	40 एकड़

  

<b>उदाहरण—2</b>	
● औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 30.00 करोड़
● नेटवर्थ	रु. 2.00 करोड़
● अनुमन्य लाइसेन्स एरिया	शून्य

  

<b>उदाहरण—3</b>	
● औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 30.00 करोड़
● नेटवर्थ	रु. 5.00 करोड़
● अनुमन्य लाइसेन्स एरिया	33 एकड़

3.6 कन्सॉर्शियम को लाइसेंस जारी होने के उपरान्त 'लीड मेम्बर' के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा उसी दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा, जिससे मूल कन्सॉर्शियम की न्यूनतम अपेक्षित वित्तीय क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव न पड़े। लीड मेम्बर में



- 4.3 लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन—पत्र अर्ह पाये जाने पर विकासकर्ता/ कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स फीस जमा करने के लिए सूचित किया जायेगा, जो 30 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। लाईसेन्स फीस की दरें नगर के आकार (जनगणना, 2011) के आधार पर निम्नवत होंगी—

● 10 लाख एवं अधिक आबादी	रु. 2.00 लाख प्रति एकड़ +जी एस टी
● 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम	रु. 1.00 लाख प्रति एकड़ +जी एस टी
● 5 लाख से कम	रु. 0.50 लाख प्रति एकड़ +जी एस टी

लाईसेन्स फीस की धनराशि आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को लागू दरों के अनुसार देय होगी। लाईसेन्स फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा भारत सरकार के आयकर विभाग के मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाएगा।

- 4.4 विकासकर्ता/ कन्सॉर्शियम को लाइसेन्स निर्गमन के पूर्व लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत उसके स्वामित्व की एवं टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि प्रथम विकास अनुबन्ध निष्पादित होने तक विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।
- 4.5 विकासकर्ता/ कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स निर्धारित प्रपत्र पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत किया जाएगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण/परिषद बोर्ड, शासन तथा आवास बस्तु को प्रेषित की जाएगी। प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा लाईसेन्स निर्गमन की कार्यवाही विकासकर्ता द्वारा आवेदन—पत्र जमा करने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।
- 4.6 एक बार निर्गत लाईसेन्स सम्पूर्ण परियोजना अवधि तक वैध होगा। ‘परियोजना अवधि’ का तात्पर्य लाइसेन्स निर्गमन की तिथि से योजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण होने पर ‘कम्प्लीशन सर्टिफिकेट’ जारी होने की तिथि से है।
- 4.7 विकासकर्ता/ कन्सॉर्शियम द्वारा प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा। विकासकर्ता एक या अधिक विकास क्षेत्र में एक या अधिक लाईसेन्स हेतु आवेदन कर सकता है और एक या अधिक कन्सॉर्शियम का सदस्य भी बन सकता है, परन्तु प्रत्येक लाईसेन्स उसकी वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि प्रस्तर—3.4 एवं 3.5 में प्राविधानित है।
- 4.8 लाईसेन्स हेतु अनुमोदित कुल क्षेत्रफल में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा युक्तिसंगत कारणों से कमी की जा सकती है, परन्तु कम हुए क्षेत्रफल के सापेक्ष लाइसेन्स फीस वापस नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भूमि क्य/जुटाव में व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत स्थल की भौतिक सीमाओं में लाइसेन्स एरिया के कुल क्षेत्रफल में अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के अनुमोदन से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि विकासकर्ता के स्वामित्व की 25 प्रतिशत भूमि एवं उसके अन्तर्गत प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि लाईसेन्स क्षेत्र में ही रहनी चाहिए।

- 4.9 विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर लाईसेन्स निर्गमन एवं टाउनशिप के विकास/निर्माण कार्यों के विनियमन हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रयोजनार्थ लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जायेगा।
- 4.10 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा टाउनशिप के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जो प्रस्तर संख्या-4.2 के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा निम्न शर्तों के अधीन केवल एक बार अनुमत्य होगा।
- (i) विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा मूल लाईसेन्स क्षेत्रफल की न्यूनतम 75 प्रतिशत भूमि क्रय/असेम्बल कर ली गई हो तथा कम से कम एक विकास अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया हो किन्तु योजना का विस्तार सहित सम्पूर्ण क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा,
  - (ii) विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व अनुमोदित टाउनशिप की निरन्तरता में होना चाहिए। यदि मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र के मध्य कोई भौतिक बाधा हो, तो मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र की परस्पर 'कनेक्टिविटी' सुनिश्चित करने पर ही विस्तार की अनुमति दी जाएगी,
  - (iii) विस्तारित क्षेत्रफल के सापेक्ष मानक के अनुसार विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम की वित्तीय अर्हता पूर्ण होनी चाहिए,
  - (iv) विस्तारित क्षेत्र हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा तत्समय प्रभावी दरों पर दरों पर प्रोसेसिंग फीस एवं लाईसेन्स फीस देय होगी।

## 5. लैण्ड असेम्बली की प्रक्रिया

- 5.1 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा भूमि स्वयं क्रय/असेम्बल की जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में परियोजना में रोड नेटवर्क के लिंकेजेस को पूर्ण करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से भू-अर्जन की कार्यवाही की जाएगी तथा योजनान्तर्गत अन्य अनार्जित भूमि को राजस्व विभाग की सहमति से चकबन्दी की कार्यवाही करते हुए योजना के बाहर एक किनारे प्रस्तावित किया जा सकेगा।
- 5.2 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा लाईसेन्स निर्गमन से पूर्व स्वयं क्रय की गई भूमि को छोड़ते हुए योजना का लाइसेंस निर्गत होने के बाद अवशेष भूमि के क्रय हेतु स्टॉप्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी।
- 5.3 योजनान्तर्गत ग्राम समाज, सीलिंग व अन्य शासकीय भूमि के विनियमन की कार्यवाही राजस्व विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार अधिकतम 60 दिनों में पूर्ण की जाएगी, जिस हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर होंगे। समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न होने पर ऐसी भूमि को विकासकर्ता द्वारा किसी उपयुक्त स्थान पर, जिसे समुचित पहुंच मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो, पर एकजार्इ कर छोड़ते हुए ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। परन्तु विकासकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर सृजित सम्पत्तियों के विक्रय का अधिकार विनियम की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में अन्तरण होने पर ही प्राप्त होगा।
- 5.4 योजनान्तर्गत स्थित एस.सी./एस.टी. के व्यक्तियों की भूमि के विक्रय हेतु जिलाधिकारी की अनापत्ति के प्रतिबन्ध को लागू नहीं किया जायेगा।
- 5.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु उ.प्र. राजस्व संहिता अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन प्रचलित



- 6.7 लाईसेन्स निर्गमन एवं ले—आउट प्लान अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित है तथा उक्त कार्यवाही के लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को अधिकृत होंगे।
- 6.8 योजनान्तर्गत आवासीय के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि भी सम्मिलित होने की दशा में महायोजना मार्गों की भूमि को छोड़कर अवशेष उपयोगों की भूमि को योजनान्तर्गत ही भू—उपयोग परिवर्तन की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए स्वैपिंग किया जाना अनुमन्य होगा, जिस हेतु भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।
- 6.9 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के उद्योग संबद्धन और अंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेश नीति (एफ.डी.आई पालिसी) के अनुसार 100 प्रतिशत विदेशी निवेश एफ.डी.आई. की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6.10 परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न स्वीकृतियों हेतु 'ग्रीन चैनल' की व्यवस्था की जाएगी।

## **7. भू—स्वामियों/किसानों के हितों का संरक्षण**

- 7.1 भू—स्वामियों/किसानों द्वारा अपनी भूमि विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को विक्रय करने की बाध्यता नहीं है, बल्कि लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट/डेवल्पर एग्रीमेन्ट किया जा सकता है।
- 7.2 टाउनशिप के अन्दर स्थित ग्रामीण आबादियों में विकासकर्ता द्वारा लिंक रोड, पेरीफेरल एवं आन्तरिक सड़कें, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, सीवेज निस्तारण, जलाधारी तथा तालाबों/पोखरों/जलाशयों का जीर्णद्वार/संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य स्वयं निःशुल्क कराये जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक केन्द्र के लिए मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
- 7.3 प्रस्तावित टाउनशिप के बाहर स्थित ऐसी ग्रामीण आबादियां जिनकी भूमि को विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, के विकास हेतु विकासकर्ता द्वारा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी, जिससे प्राधिकरण आवास परिषद द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे।
- 7.4 टाउनशिप के अन्तर्गत यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो प्रभावित भू—स्वामियों को प्रचलित भूमि अर्जन अधिनियम तथा उसके कम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन समुचित प्रतिकर और नियमानुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

## **8. भू—उपयोग नियोजन तथा डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के मानक**

- 8.1 टाउनशिप के अन्दर स्थित महायोजना मार्गों का निर्माण तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों/ग्रीनबेल्ट का विकास विकासकर्ता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं कराया जायेगा। उपरोक्त उपयोगों के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा कर्य की गई भूमि के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.आर. देय होगा।
- 8.2 भू—उपयोग परिवर्तन अनुमन्य होने की दशा में 10 लाख एवं अधिक आबादी के नगरों में तत्समय प्रभावी नियमावली के आधार पर भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।
- 8.3 टाउनशिप हेतु चयनित ऐसे स्थल जहाँ लाईसेन्स निर्गमन की तिथि को महायोजना लागू नहीं है, उनके लिए भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी और भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क भी देय नहीं होगा। लाईसेन्स जारी होने के बाद यदि प्रथम बार महायोजना लागू होती है, तो महायोजना में उन क्षेत्रों को 'आवासीय' दर्शित किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरणों में महायोजना में उच्चीकृत किए गए भू—उपयोग हेतु तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार शुल्क देय होगा।

8.4 टाउनशिप के अन्तर्गत आवासीय, मिश्रित, व्यवसायिक, औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त) संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं उपयोगिताएं तथा मनोरंजन, पार्क, खुले क्षेत्र, कीड़ा-स्थल एवं जलाशय तथा यातायात एवं परिवहन के लिए मानकों के अनुसार भूमि आरक्षित की जाएगी। 25 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल के टाउनशिप के नियोजन हेतु महायोजना मार्गे एवं महायोजना स्तरीय ग्रीन भू-उपयोग को छोड़कर अवशेष क्षेत्रफल के लिए भू-उपयोग के मानक निम्न तालिकानुसार होंगे:—

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (प्रति शत)
1.	आवासीय	अधिकतम 50
2.	मिश्रित	अधिकतम 20
3.	व्यवसायिक	अधिकतम 10
4.	औद्योगिक (प्रदूषण रहित) संस्थागत, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताएं तथा मनोरंजन,	न्यूनतम 10
5.	पार्क, खुले क्षेत्र, कीड़ा स्थल एवं जलाशय	न्यूनतम 15
6.	यातायात, परिवहन एवं पार्किंग स्थल	न्यूनतम 15

### टिप्पणी:—

- (i) प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत यदि महायोजना/जोनल प्लान स्तर की सड़कें तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट शामिल हो, तो ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कुल लाईसेन्स एरिया से घटाने के उपरान्त नेट एरिया पर उपरोक्त तालिका में निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी, परन्तु लाईसेन्स फीस सम्पूर्ण लाईसेन्स एरिया पर देय होगी।
- (ii) 25 एकड़ से कम क्षेत्रफल के टाउनशिप में नियोजन के मानक प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार होंगे।
- 8.5 टाउनशिप के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित भू-उपयोगों के विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु डेन्सिटी, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक निम्नानुसार होंगे:—

डेन्सिटी:—			
(क) प्लाटेड डेवल्पमेंट		150 आवासीय ईकाईयां प्रति हेक्टेयर	
(ख) ग्रुप हाउसिंग			
● 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर		200 आवासीय ईकाईयां प्रति हेक्टेयर	
● 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर		250 आवासीय ईकाईयां प्रति हेक्टेयर	
● 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर		330 आवासीय ईकाईयां प्रति हेक्टेयर	
<b>अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर.</b>			
भू-उपयोग श्रेणी		भू-आच्छादन	एफ.ए.आर.
1. आवासीय			
(क) प्लाटेड डेवल्पमेंट		65 प्रतिशत	2.00
(ख) ग्रुप हाउसिंग		35 प्रतिशत	2.50

<b>2. व्यवसायिक</b>		
(क) 2500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	1.50
(ख) 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	2.50
<b>3. मिश्रित</b>	40 प्रतिशत	3.00
<b>4. कार्यालय एवं संस्थागत</b>	35 प्रतिशत	2.50
<b>5. औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त)</b>	50 प्रतिशत	2.00
<b>6. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं</b>	35 प्रतिशत	2.00
<b>7. मनोरंजन</b>	20 प्रतिशत	0.25

**टिप्पणी—**

- (1) प्लाटेड डेवल्पमेन्ट को छोड़कर अन्य उपयोगों के लिए उपरोक्त तालिका में दिये गये एफ.ए.आर. के अतिरिक्त नियमानुसार 50 प्रतिशत क्य-योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि क्य-योग्य सहित कुल एफ.ए.आर. 4.0 से अधिक नहीं होगा। क्य-योग्य एफ.ए.आर. हेतु शुल्क की गणना अधिसूचना संख्या—3589/8-3-2011-11विविध/08, दिनांक 04.8.2011 में निर्धारित (समय-समय पर यथासंशोधित) फार्मूले के अनुसार की जायेगी, परन्तु उक्त अधिसूचना में मिश्रित, औद्योगिक तथा मनोरंजन भू-उपयोग के लिए क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक) निर्धारित नहीं हैं, जो निम्नवत् होंगे—

भू-उपयोग श्रेणी	क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक)
● मिश्रित	0.60
● औद्योगिक	0.40
● मनोरंजन	0.30

यदि उपरोक्त क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक) में भविष्य में कोई संशोधन होता है, तो संशोधित गुणांक लागू होंगे।

- (2) मिश्रित उपयोग के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर होगी।
- 8.6 भू-उपयोग मानकों के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्रों का प्राविधान 'हैरार्किकल आर्डर' में करते हुए भूमि आरक्षित की जाएगी।
- 8.7 टाउनशिप का नियोजन एवं अभिकल्पन भूमि के इष्टतम उपयोग तथा सुरक्षित पर्यावास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
- 8.8 टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोगों में विभिन्न क्रियाओं का नियोजन सम्बन्धित नगर की महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार किया जाएगा तथा स्थल विकास/निर्माण की अन्य अपेक्षाएं एवं पार्किंग व्यवस्था के मानक सम्बन्धित क्षेत्र में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होगी। जहां महायोजना लागू नहीं है, वहां शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (समय-समय पर यथा-संशोधित) का अनुपालन किया जाएगा।
- 8.9 टाउनशिप के नियोजन में प्राकृतिक धरोहर क्षेत्रों यथा—वुडलैण्ड, वेटलैण्ड, फ्लॉप्लेन, नदी/नालों के कॉरीडोर, वन्य जन्तु पर्यावास, आदि को पार्कों एवं खुले स्थानों तथा अन्य संगत विकास के साथ समायोजित किया जाएगा।

- 8.10 न्यू टाउनशिप रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन की दृष्टि से 'सेल्फ-कंटेन्ड' होगा, जिसके अन्तर्गत 'वाक-टू-वर्क' एवं नॉन मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कार्बन विसर्जन को कम किया जा सके।
- 8.11 टाउनशिप के अन्तर्गत समाज के सभी आय एवं आयु वर्गों के व्यक्तियों के लिए 'इन्क्लूसिव' सेवाओं का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- 8.12 टाउनशिप का पर्यावरण की दृष्टि से सुस्थिर विकास हेतु एनर्जी-एफिशिएन्ट, जीरो वेस्ट निस्तारण, जल संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकिंग), ग्रीन कवर, ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर पावर, आदि के उपयोग को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा।

## **9. डी.पी.आर का अनुमोदन, विकास अनुबन्ध एवं परियोजनावधि**

- 9.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्षियम को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त योजना का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर 01 वर्ष के अन्दर तथा 50 एकड़ से अधिक होने पर 18 माह के अन्दर टाउनशिप की डी.पी.आर. प्राधिकरण/आवास परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी होगी, जिस हेतु टाउनशिप की कुल भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल विकासकर्ता/कन्सॉर्षियम के स्वामित्व में अनिवार्यतः होना चाहिए। इस 60 प्रतिशत भूमि में वह भूमि भी शामिल की जा सकेगी, जो विकासकर्ता/कन्सॉर्षियम द्वारा किसानों के साथ 'लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट' अथवा 'डेवल्पर एग्रीमेन्ट' के रूप में पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से असेम्बल की जाएगी। डी.पी.आर. के अन्तर्गत लैण्डयूज़ प्लान, ले-आउट प्लान, सर्कुलेशन ग्लान एवं रोड कास सेक्शन्स, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति रेनवाटर हार्वेस्टिंग कूड़ा-निस्तारण व्यवस्था लैण्डस्केप प्लान तथा अन्य जनसुविधाओं की विशिष्टियां एवं प्लान योजना का क्रियान्वयन चरणवद्व रूप से पूर्ण करने हेतु चरणवद्व समय-सारिणी (प्रत्येक चरण के प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि एवं प्रत्येक चरण में भूमि क्य/असेम्बली विकास कार्य सम्पत्ति निस्तारण के 'पर्ट-चार्ट' सहित), परियोजना लागत एवं वित्त पोषण व्यवस्था, सम्पत्ति प्रबन्धन, टाउनशिप के रख-रखाव तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु प्रस्ताव शामिल होंगे। डी.पी.आर. के अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि तथा अन्य के स्वामित्व की भूमि का विवरण सजरा मानचित्र एवं ले-आउट प्लान पर स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा।
- 9.2 डी.पी.आर का परीक्षण इस नीति के प्रस्तर-4.2 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा और उसकी संस्तुति के आधार पर आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा डी.पी.आर. पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। समिति द्वारा उक्त कार्यवाही प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।
- 9.3 टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर विकासकर्ता द्वारा लाईसेन्स जारी होने की तिथि से 18 माह के अन्दर तथा 50 एकड़ से अधिक होने पर 2 वर्ष के अन्दर प्रथम ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। विकासकर्ता को निम्नानुसार चरणवद्व रूप से भी ले-आउट प्लान स्वीकृत कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक चरण में विकासकर्ता के पास न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षेत्रफल का स्वामित्व (जिसके अन्तर्गत लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट अथवा डेवल्पर एग्रीमेन्ट की भूमि भी शामिल हो सकती है), होना चाहिए और विस्तारित क्षेत्र सहित प्रत्येक चरण का ले-आउट प्लान/डेवल्पमेन्ट एग्रीमेन्ट की भूमि निरन्तरता में होनी चाहिए:-

क्षेत्रफल	ले—आउट प्लान / विकास अनुबन्ध की अधिकतम संख्या
● 50 एकड़ तक	01
● 50 से अधिक 100 एकड़ तक	02
● 100 से अधिक	04

**टिप्पणी—** विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक चरण के ले—आउट प्लान में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के भवनों तथा सामुदायिक सुविधाओं यथा—शैक्षिक, चिकित्सा, पुलिस स्टेशन, बस स्टाप, बस स्टेशन, आदि हेतु ले—आउट प्लान में भूमि अनिवार्य रूप से ऐसे स्थलों पर आरक्षित की जायेगी, जिसका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में।

- 9.4 टाउनशिप के ले—आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा ले—आउट प्लान की स्वीकृति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के स्तर से दी जाएगी। विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि, जिसका पूर्ण स्वामित्व विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, पर विकासकर्ता को 'डेवलपमेंट राइट्स' नहीं होंगे। ले—आउट प्लान की स्वीकृति के समय विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुबन्ध (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जाएगा, जिसका मानक प्रपत्र अलग से जारी किया जाएगा। प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा ले—आउट प्लान की स्वीकृति और विकास अनुबन्ध की कार्यवाही एक साथ सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यवाही के पूर्ण होते ही लाइसेन्स जारी करने के समय प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में विकासकर्ता द्वारा बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि अवमुक्त कर दी जायेगी।
- 9.5 टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर उसके समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं एवं ग्रामीण आबादियों का विकास पूर्ण करने हेतु परियोजनावधि विस्तारित क्षेत्र सहित 05 वर्ष होगी। टाउनशिप का क्षेत्रफल 51—100 एकड़ होने पर परियोजनावधि 06 वर्ष, 101—200 एकड़ होने पर परियोजनावधि 07 वर्ष तथा 200 एकड़ से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 100 एकड़ हेतु 1 वर्ष अथवा अधिकतम 12 वर्ष होगी। डी.पी.आर. स्वीकृति के उपरान्त यदि विकासकर्ता द्वारा किसी न्यायालय के स्थगनादेश अथवा अन्य कारणों से लैण्ड असेम्बली समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो परियोजनावधि में विस्तार के सम्बन्ध में 'केस—टू—केस' आधार पर प्राधिकरण बोर्ड/परिषद बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- 9.6 विकास कार्यों का कियान्वयन डी.पी.आर. के अनुरूप एवं उसमें निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकास प्राधिकरण/आवास परिषद को उक्त कार्यों के निरीक्षण का अधिकार होगा, जिस हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्शियन द्वारा नियमानुसार निरीक्षण शुल्क देय होगा। प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस हेतु यथोचित प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तथा यथावश्यकतानुसार स्वतन्त्र संस्था के माध्यम से भी उक्त कार्य कराया जा सकता है।

## 10. भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- 10.1 टाउनशिप के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित कराए जाएंगे।

**स्पष्टीकरण (I)**—भूमि के आन्तरिक विकास में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:—

- (क) भूमि का समतलीकरण (जहां आवश्यक हो),
- (ख) सड़कें,
- (ग) ड्रेनेज,
- (घ) जलापूर्ति,
- (ङ.) सीवरेज,
- (च) आन्तरिक विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाइटिंग,
- (छ) सॉलिड वेस्ट कलेक्शन,
- (ज) पार्कों कीड़ा—स्थलों तथा तत्समान प्रयोजनों के लिए मानकों के अनुसार खुले स्थान का प्राविधान एवं वृक्षारोपण,
- (झ) रेनवाटर हार्ड्स्टिंग,
- (ञ) शिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं के लिए मानकों के अनुसार भूमि का आरक्षण।

**स्पष्टीकरण (II)**—भूमि के वाह्य विकास में टाउनशिप के आन्तरिक विकास के प्रत्येक कार्यान्वयन के सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण एवं कार्यशील होने के लिए टाउनशिप की सीमा के अन्दर अथवा बाहर अपेक्षित कार्य शामिल होंगे। वाह्य विकास के कार्यान्वयन निम्नवत् होंगे:—

- (क) महायोजना/प्रमुख मार्ग (30 मीटर एवं अधिक चौड़े)
  - (ख) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था/मास रैपिड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था
  - (ग) इलेक्ट्रिक सब—स्टेशन
  - (घ) जलापूर्ति का स्रोत तथा जल भण्डारण/वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
  - (ङ) ट्रंक वाटर लाईन
  - (च) ट्रंक सीवर लाइन
  - (छ) ट्रंक ड्रेन/नाला
  - (ज) सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट
  - (झ) एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट
  - (ञ) टाउनशिप लेवल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एवं ट्रांसफर व्यवस्था
- 10.2 टाउनशिप के लिए चयनित स्थल तक एम.डी.आर./ओ.डी.आर. से न्यूनतम 24 मीटर चौड़े पहुँच मार्ग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा पहुँच मार्ग की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा यदि कतिपय बाह्य विकास कार्यों जैसे—रोड कनेक्शन, जल—निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, आदि हेतु कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देय होगा।
- 10.3 भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान निम्नवत् सुनिश्चित किया जाएगा:—
- (I) रोड नेटवर्क एवं ट्रांसपोर्टशन



निहित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेन्डिंग जोन फॉर स्ट्रीट वेन्डर्स, पार्किंग स्थल, बस शेल्टर्स, बस स्टेशन, बस पार्किंग वेज़, एम.एस.डब्लू. प्राइमरी ट्रांसफर स्टेशन का भी मानकों के अनुसार प्राविधान किया जायेगा।

## 11. परफार्मेंस गारन्टी

11.1 विकास कार्यों का क्रियान्वयन अनुमोदित डी.पी.आर. एवं विकास अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप और निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकास अनुबन्ध के निष्पादन के समय योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत विक्रय—योग्य भूमि आवासीय मिश्रित एवं व्यवसायिक भू—उपयोग में समानुपातिक रूप से चिन्हित करते हुए (ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग क्षेत्र को छोड़कर) प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बंधक रखी जाएगी अथवा उसके मूल्य के समतुल्य बैंक गारन्टी देनी होगी। बंधक रखी जाने वाली भूमि का स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। बंधक रखी गई 20 प्रतिशत भूमि पर विकासकर्ता को विकास करने का अधिकार होगा, परन्तु उस पर निर्मित/सुजित किसी सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा उसमें 'थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्ट' उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त उपबन्ध का उल्लंघन किया जाता है, तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप जैसे—जैसे विकास कार्य पूर्ण किए जाएंगे, उसी अनुपात में बंधक रखी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जाएगी।

**स्पष्टीकरण—** विकास कार्य पूर्ण होने का तात्पर्य टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत—आपूर्ति, पार्क, कीड़ा स्थल एवं ग्रीन बेल्ट तथा सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं के कार्यशील होने से है।

- 11.2 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा टाउनशिप की कुल विक्रय—योग्य भूमि का 20 प्रतिशत भाग अपने पक्ष में बंधक/गिरवी रखने हेतु विकासकर्ता कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा यदि कोई विकास कार्य अधूरा छोड़ा जाता है, तो उसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा बन्धक रखी गई भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि से पूर्ण कराया जाएगा।
- 11.3 विकास अनुबन्ध निष्पादित होने के 90 दिन के अन्दर विकासकर्ता द्वारा यदि सम्पूर्ण परियोजना को रेत में पंजीकृत कराया जाता है, तो परफार्मेंस गारन्टी हेतु प्राधिकरण के पक्ष में उपरोक्त प्रस्तर—11.1 की व्यवस्थानुसार परफार्मेंस गारन्टी के रूप में 20 प्रतिशत वक्रय—योग्य भूमि बन्धक रखना आवश्यक नहीं होगा।

## 12. सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण

- 12.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को अपनी योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैट्स/अन्य विकसित सम्पत्तियों के आवंटन, विक्रय अथवा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का अधिकार डिटेल्ड ले—आउट प्लान की स्वीकृति पश्चात् ही अनुमन्य होगा।
- 12.2 विकासकर्ता द्वारा आवंटियों को विकसित सम्पत्तियों का कब्जा दिए जाने से पूर्व हस्तान्तरण विलेखों का निबन्धन कराना अनिवार्य होगा।
- 12.3 योजनान्तर्गत भूमि विकास के उपरांत विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर विकासकर्ता/आवंटियों द्वारा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

12.4 योजनान्तर्गत दुर्बल आय एवं अल्प आय वर्गों हेतु निर्मित भवनों तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु सृजित सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण प्रभावी शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

### 13. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग निर्माण के लिए अपेक्षाएं

विकासकर्ता द्वारा शासनादेश संख्या—3188/आठ—1—13—80 विविध/2010, दिनांक 05.12.2013 एवं समय—समय पर यथासंशोधित शासकीय नीति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेंगी। इस सम्बन्ध में प्रत्येक डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के निष्पादन की तिथि को प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु वर्तमान नीति के प्राविधान निम्नवत् हैं:-

#### 13.1 लाभार्थी की आय सीमा

ई.डब्ल्यू.एस. परिवार की वार्षिक आय रु. 3.0 लाख तक तथा एल.आई.जी. परिवार की वार्षिक आय रु. 3.0 लाख से अधिक परन्तु रु. 6.0 लाख तक होगी। भविष्य में हड्डको/भारत सरकार द्वारा उक्त मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत् लागू होगी अन्यथा वार्षिक आय सीमा को प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

#### 13.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं आवासीय इकाईयों का 'बिल्ट-अप एरिया'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए भूखण्डीय विकास में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल तथा ग्रुप हाउसिंग पद्धति में आवासीय इकाईयों के लिए 'बिल्ट-अप एरिया' के लिए मानक निम्नवत् होंगे:-

क्र.सं.	आय वर्ग	भूखण्डीय विकास में भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	ग्रुप हाउसिंग में आवासीय इकाई का बिल्ट-अप एरिया (वर्ग मीटर)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	30—35	25—35
2.	एल.आई.जी.	40—50	35 से अधिक 48 तक

प्रतिबन्ध यह है कि भूखण्डीय विकास में भी भूखण्ड पर यथास्थिति ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा भवन निर्माण की लागत 'सीलिंग कास्ट' में सम्मिलित होगी। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण ग्रुप हाउसिंग के रूप में भी किया जा सकेगा। ग्रुप हाउसिंग के रूप में निर्मित किए जा रहे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन चार से अधिक मंजिलों के साथ भी निर्मित किए जा सकते हैं।

**स्पष्टीकरण—**'बिल्ट-अप एरिया' से तात्पर्य आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल से है, जिसमें दीवारें, कमरे, बाथरूम, रसोईघर, बालकनी आदि से आच्छादित क्षेत्रफल सम्मिलित होगा, जो भवन स्वामी के एकान्तिक कब्जे (एक्सक्लुसिव पोजैशन) में होगा। बिल्ट-अप

एरिया के अन्तर्गत “साझा क्षेत्रों और सुविधाओं” (कामन एरियाज एण्ड फैसिलिटीज) का “अविभाजित हित” (अनडिवाइडेड इन्ड्रेस्ट) सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

### 13.3 योजनान्तर्गत ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का प्रतिशत

विकासकर्ता द्वारा (भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) योजना में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाइयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10–10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) कमशः ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण टाउनशिप के अन्दर करना अनिवार्य होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार क्य-योग्य एफ.ए.आर. लिया जाता है, वहां उक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. के सापेक्ष भी समानुपातिक रूप से ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण किया जाना होगा।

### 13.4 आवासीय इकाइयों की ‘सीलिंग कास्ट’

ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः रु. 6.00 लाख तथा रु. 9.00 लाख इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि उक्त सीलिंग कास्ट ई.डब्लू.एस. भवन के 25 वर्ग मीटर ‘बिल्ट-अप एरिया’ तथा एल.आई.जी. भवन के 35 वर्ग मीटर ‘बिल्ट-अप एरिया’ के लिए प्रभावी होगी। ‘बिल्ट-अप एरिया’ उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक ‘बिल्ट-अप एरिया’ के सापेक्ष ‘प्रो-राटा’ (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कॉस्ट आंकित की जाएगी। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कॉस्ट 20 प्रतिशत अधिक होगी। सीलिंग कॉस्ट को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग, भारत सरकार के ‘कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्डेक्स’ के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

### 13.5 भवनों के निर्माण हेतु ‘परफार्मेन्स गारन्टी’

विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादन के समय ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण के सापेक्ष ‘परफार्मेन्स गारन्टी’ देय होगी। बैंक गारन्टी होने की दशा में उसकी धनराशि सम्बन्धित योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि मूल्य के बराबर होगी और भूमि मूल्य की गणना वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी। बैंक गारण्टी की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा इसके नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि बैंक गारन्टी “लैप्स” न होने पाए। बैंक गारण्टी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि जो विक्य-योग्य हो, विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में बन्धक/गिरवी रखी जा सकती है अथवा उक्त भूमि के मूल्य के बराबर बैंक गारन्टी देय होगी। यह भूमि आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों के सापेक्ष बन्धक/गिरवी रखी जाने वाली 20 प्रतिशत भूमि के अतिरिक्त होगी। बन्धक/गिरवी रखी जाने वाली 10 प्रतिशत भूमि को ले-आऊट पर चिन्हित करते हुए “मोर्टगेज डीड” निष्पादित करनी होगी, जिसे ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवमुक्त किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा यदि ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण नहीं किया जाता है अथवा अधूरा छोड़ा जाता है, तो प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा बैंक गारण्टी को जब्तकर एवं भुना कर अथवा बन्धक रखी गई दस प्रतिशत भूमि के विक्य से प्राप्त धनराशि से ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। डिफाल्टर विकासकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

इसके अतिरिक्त ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण योजना के अन्य आवासीय स्टाक की भौतिक प्रगति के अनुपात में किया जाना होगा। उदाहरणार्थ, किसी टाउनशिप में प्रस्तावित 100 भवनों में से यदि विकासकर्ता द्वारा प्रथम चरण में 40 भवन बनाने हैं, तो इन भवनों के साथ—साथ 4—4 ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन भी बनाने होंगे।

### 13.6 विकासकर्ताओं को 'इन्सेन्टिव'

विकासकर्ता को ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ.ए.आर.. जो बेसिक एफ.ए.आर. (+) कय—योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, उसी योजनान्तर्गत अनुमन्य होगा एवं उसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से आवासीय इकाइयां भी अनुमन्य होंगी। विकासकर्ता को अनुमन्य अतिरिक्त निःशुल्क एफ.ए.आर. के आधार पर योजना के ले—आउट प्लान/भवन मानचित्र सशर्त अनुमोदित किए जायेगे, परन्तु 'इन्सेन्टिव' के रूप में अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगा।

### 13.7 भवनों के आवंटन की प्रक्रिया

लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही समय से शासन द्वारा समय—समय पर घोषित/संशोधित नीति के अनुसार पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को भवनों का आवंटन लागू शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा परन्तु प्रथम आवंटन से शेष भवनों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किये जाने हेतु विकासकर्ता को अधिकृत किया जाएगा।

### 13.8 भवनों के विक्रय/हस्तान्तरण पर रोक

ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन 'लीज होल्ड' के आधार पर किया जाएगा, जिसके विक्रय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाभार्थी के पक्ष में फ़ी—होल्ड किया जा सकेगा। परन्तु किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिए गए ऋण की वसूली हेतु बंधक रखे गए भवन की नीलामी/विक्रय की स्थिति में उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन 'हेरिटेबल' होंगे। एक से अधिक ई.डब्लू.एस. अथवा एल.आई.जी. भवनों का 'अमलगमेशन' अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।

### 13.9 नियोजन एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं

टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन एफ.ए.आर. तथा डेन्सिटी के प्राविधानों से मुक्त रहेंगे। भवनों के नियोजन तथा अभिकल्पन एवं निर्माण की अन्य अपेक्षाएं विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होंगी। इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत जहां ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण 'क्लस्टर' के रूप में किया जाए, वहां मानकों के अनुसार सामुदायिक सुविधाएं यथा—स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पार्क, कूड़ा—एकत्रीकरण स्थल, इत्यादि का अनिवार्य रूप से प्राविधान किया जाएगा।







लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा और विकासकर्ता के स्वामित्व की विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि जब्त कर ली जायेगी।

- 16.2 यदि प्रस्तर-15 में निर्धारित माईलस्टोन्स का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो परियोजना पूर्ण करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समय विस्तार शुल्क, जो अविकसित भूमि क्षेत्रफल पर रु. 50,000 प्रति एकड़ की दर से देय होगा, सहित अधिकतम 02 वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जा सकेगी। पुनरीक्षित अवधि में भी योजना पूर्ण न होने पर लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। बंधक रखी भूमि को विक्रय कर/बैंक गारन्टी को जब्त कर योजना के अवशेष कार्यों को प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।
- 16.3 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों तथा टाइम-शोड्यूल के अनुसार विकासकर्ता द्वारा यदि टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न छूटें यथा—स्टाम्प शुल्क में छूट, भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, भूमि अर्जन, ग्राम समाज एवं अन्य शासकीय भूमि का पुर्नग्रहण, राजस्व संहिता अधिनियम के अधीन 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संकरण हेतु छूट, आदि प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य सरकार/शासकीय अभिकरण में विहित हो जाएंगी।
- 16.4 विकासकर्ता द्वारा यदि नगरीय विकास शुल्क अथवा अन्य देय शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी वसूली अधिनियम में निहित व्यवस्थानुसार भू—राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।
- 16.5 विकासकर्ता द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त एवं प्रथम विकास अनुबन्ध के निष्पादन के पूर्व यदि इस नीति से निर्गम (एकिजट) करना चाहता है, तो उसके स्वामित्व की प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि में से 05 प्रतिशत भूमि जब्त कर ली जायेगी।

## 17. राज्य सरकार एवं शासकीय अभिकरणों की भूमिका एवं दायित्व

- 17.1 राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों की भूमिका 'सुविधा प्रदायक' एवं रेगुलेटर के रूप में उस सीमा तक होगी, जिससे कि इस नीति के अधीन जनकल्याण से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस प्रयोजनार्थ, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा टाउनशिप परियोजना हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समन्वय सुनिश्चित करना, परियोजना स्वीकृतियों हेतु सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स की व्यवस्था करना, स्थानीय स्तर पर परियोजना का अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रयास करना, लाइसेन्स क्षेत्र में अवैध निर्माण को नियंत्रित करना, आदि शामिल होंगे। इस नीति के अधीन विकसित की जाने वाली टाउनशिप्स भविष्य में राज्य सरकार के ऊपर दायित्व न बन जाएं, इस हेतु अवस्थापना का नियोजन एवं अभिकल्पन इस प्रकार सुनिश्चित कराया जाएगा कि शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधाओं व जनकल्याण के अन्य आर्थिक पहलुओं के दृष्टिगत विकसित टाउनशिप्स समुचित रूप से स्वावलम्बी हो। राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों का यह सुनिश्चित करने का भी दायित्व होगा कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग की हाऊसिंग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के 'सर्विस प्रोवाइडर्स' के लिए आवश्यक प्राविधानों सहित नगरीय निर्धनों के लिए 'इनकलूसिव' हो।

- 17.2 राज्य सरकार एवं उसके अभिकरणों द्वारा विभिन्न 'रेगुलेटरी' नियन्त्रणों यथा—भूमि जुटाव सम्बन्धी अनापत्तियां, विकास एवं निर्माण सम्बन्धी अनुज्ञाएं और पर्यावरणीय स्वीकृतियां त्वरित गति से निर्गत की जाएंगी।
- 17.3 टाउनशिप के रोड नेटवर्क एवं लिंकेजेज हेतु भूमि के क्य/असेम्बली में राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार अर्जन की कार्यवाही की जाएगी।
- 17.4 टाउनशिप के लिए ठोस कूड़े के निस्तारण, ड्रेनेज निस्तारण तथा सीवेज निस्तारण की 'ऑन—साइट' व्यवस्था व्यवहारिक न होने की स्थिति में प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/अभिकरण से समन्वय कर 'ऑफ—साइट' व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 17.5 डी.पी.आर. के अन्तर्गत दिए गए 'टाइम—शेड्यूल' के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा उचित व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति के अधीन टाउनशिप के लिए निर्धारित मानकों एवं अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है।
- 17.6 निजी विकासकर्ताओं के शेयर होल्डिंग अथवा सम्पत्ति आवंटन से सम्बन्धित विवादों, मुकदमों में राज्य सरकार अथवा इसके अभिकरण पक्षकार नहीं होंगे। ऐसे वादों का निस्तारण 'सिविल कोर्ट ऑफ लॉ' में ही सुनिश्चित किया जाना होगा।

## 18. कठिनाई निवारण व्यवस्था

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु स्थानीय स्तर पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जबकि नीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शन एवं अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

## 19. नीति की प्रयोज्यता

यह नीति निजी पूँजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित विकास हेतु न्यू टाउनशिप/योजनाओं के विकास के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं एक्सप्रेसवेर्ज औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को छोड़कर) लागू होगी।